रूप-पत्र - 22

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-क का उपनियम (6) देखिये)

व्यापार कर अधिकारी द्वारा रखा जाने वाला उन व्यापारियों का खाता जिन्हें सादे रूप-पत्र जारी किये गये हो

शुल्क जो जमा किया गया			जारी किये गये रूप-पत्रों का विवरण		
प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति का दिनांक	धनराशि	खजाना-चालान संख्या और दिनांक (यदि न्यायालय-शुल्क स्टाम्प द्वारा जमा किया गया तो न्यायालय शुल्क लिख दें)	जारी किये जाने का दिनांक ..... रूप-पत्र 26 में रजिस्टर की क्रम संख्या	कुल संख्या	क्रमसंख्या ..... से तक
1	2	3	4	5(क)	5(ख) 5(ग)

जारी किये गये रूप-पत्रों का कुल मूल्य	शेष शुल्क, यदि कोई हो	व्यापारी के हस्ताक्षर	प्रमाणित करने वाले साक्षी के हस्ताक्षर
6	7	8	9

व्यापारियों द्वारा अभ्यर्पित (Surrender)किये गये अप्रयुक्त रूप-पत्र

व्यापार कर अधिकारी/ व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 के हस्ताक्षर	कुल संख्या	क्रमसंख्या से	तक	व्यापार कर अधिकारी/ व्यापार कर अधिकारी श्रेणी -2 के हस्ताक्षर
10	11(क)	11(ख)	11(ग)	12

टिप्पणी - इस रूप-पत्र में हस्ताक्षरों के सत्यापन का, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, वही अर्थ होगा जो सम्पति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में दिया गया है।